संख्या-215 /पाँच-11-2010-एन(135)/2010

प्रेषक,

राज किशोर यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनाँक 13 जनवरी, 2011

विषय:- वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 के राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2059/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में राज्यपाल महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों पर संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम तथा स्तम्भ-3 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर स्तम्भ-3 के अनुसार पदनामित करने एवं स्तम्भ-4 के अनुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विभिन्न पदों पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्थानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2008 से किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना

के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–566/दस–2010, दिनांक 3–1–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/पांच–11–2010–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 (तीन प्रतियों में)
5– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2।
6– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
उप सचिव।

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 19फ/उप0/एशो0/08–09/706–72 लखनऊः दिनांकः 24/01/2011

प्रतिलिपि निम्न को शासनादेश संख्याः–2958/पॉच–11–2010– एन(135)/2010, दिनांकः 13/01/2011 के अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि शासकीय व्यवस्थानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर/ए0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर/एस0एन0 मेडिकल कालेज चिकित्सालय, आगरा/ बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर/एन0एल0बी0 चिकित्सालय, झॉसी/एस0बी0पी0 चिकित्सालय, मेरठ/एस0आर0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0पी0एम0 चिकित्सालय कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान कानपुर/टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद/एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, वाराणसी/एम0एल0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद/डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ/आर0एम0एल0 चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/टी0 बी0 क्लीनिक, ठाकुरगंज, लखनऊ।
6. अधीक्षक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
7. प्रमुख अधीक्षक, टी0बी0 चिकित्सालय(समस्त), उत्तर प्रदेश।

(शिवशंकर)

शासनादेश संख्या–2958 /पाँच–11–10–एन(135)/2010, दिनांक 13.01.2011 का संलग्नक।

क0सं0	वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपये में।	परिवर्तित पदनाम	संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपये में।
1	2	3	4	5
1	स्टाफ नर्स	5000–8000 (वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200)	स्टाफ नर्स	7450–11500(वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4600)
2	सिस्टर/वार्ड मास्टर	5500–9000 (वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200)	नर्सिंग सिस्टर/नर्सिंग वार्ड मास्टर	7500–12000 (वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4800)
3	पी0एच0एन0ट्यूटर/ट्यूटर/थियेटर पर्यवेक्षक/मैट्रन	6500–10500 (वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4200)	सहायक नर्सिंग अधीक्षक *	8000–13500 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 5400)
4	प्रधान ट्यूटर/ज्येष्ठ मैट्रन	7500–12000 (वे0बै0–2 9300–34800 एवं 4800)	उप नर्सिंग अधीक्षक **	8000–13500 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 5400)
5	सहायक निदेशक	8000–13500 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 5400)	नर्सिंग अधीक्षक	10000–15200 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 6600)
6	संयुक्त निदेशक	10650–15850 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 6600)	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	12000–16500 (वे0बै0–3 15600–39100 एवं 7600)

* प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने के स्थिति में पदनाम सहायक नर्सिंग अधीक्षक (पी0एच0एन ट्यूटर/ट्यूटर)।

** प्रशिक्षण का दायित्व वहन करने के स्थिति में पदनाम उप नर्सिंग अधीक्षक (प्रधान ट्यूटर)

(ओम प्रकाश)
उप सचिव।